न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, कोटा, जिला कोटा
पीठासीन अधिकारीः श्री वीरेन्द्र सिंह यादव आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 51/2024 (अपील)

जी.सी.एम.एस. नं. – 2024/146

उनवान

1. राधेश्याम आत्मज झारसीराम जाति भील
2. रामजानकी बाई पत्नि झारसीराम जाति भील
3. लाडकंवर पुत्र झारसीराम जाति भील निवासीगण ग्राम सुरेला तहसील दीगोद।

(अपीलांट)

बनाम

1. रामचरण पुत्र बजरंगलाल जाति योगी
2. बब्लू पुत्र बजरंगलाल जाति योगी
3. मुरलीधर पुत्र बजरंगलाल जाति योगी निवासीगण ग्राम जगन्नाथपुरा तहसील लाडपुरा,जिला कोटा
4. सोनू पुत्र धनश्याम जाति मीणा निवासीगण ग्राम सुरेला तहसील दीगोद,जिला कोटा
5. देवलाल पुत्र धनश्याम मीणा निवासीगण सुरेला तहसील दीगोद,जिला कोटा

(रेस्पोडेन्टस्)

उपस्थित :– अभिभाषक श्री धनश्याम नागर (अपीलान्ट)

अपील न्यायालय तहसीलदार दीगोद,जिला कोटा के आदेश दिनांक 6.11.2024 अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय दिनांकः– 13/02/26

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधि,न्याय, एवं संचिका में सिद्दी प्राप्त तथ्यो के सर्वथा विपरीत है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को सुनवाई एवं साक्ष्य का अवसर प्रदान किये बिना ही अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया जो सर्वथा त्रुटिपूर्ण है। योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य की ओर कोई ध्यान नही दिया कि ग्राम सुरेला तहसील दीगोद स्थित आराजी ख. न. 67 रकबा 1.08 है0 भूमि पर रेस्पोडेन्ट द्वारा लगभग 4 वर्ष पूर्व अपीलान्टस् द्वारा 5 वर्ष की अवधि के लिए मुनाफा काश्त पर दी थी उक्त अवधि पूरी हो जाने के बाद

अति. जिला कलक्टर
कोटा

कब्जा नही छोडने पर अपीलान्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में कार्यवाही की गई, कार्यवाही का गुणावगुण पर अवलोकन किये बिना ही खारिज कर दी जो त्रुटिपूर्ण है।

अधीनस्थ न्यायालय ने हल्का पटवारी की रिपोर्ट का अवलोकन किये बिना ही केवल मात्र गैर खातेदारी होने के आधार पर प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया जो सर्वथा त्रुटि पूर्ण है।

अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य की ओर कोई ध्यान नही दिया कि रेस्पोडेन्ट द्वारा कब्जा नही छोडने पर अपीलान्ट द्वारा कार्यवाही की गई, अपीलान्ट की कार्यवाही से रेस्पोडेन्ट अतिक्रमी प्रथम दृष्ट्या प्रमाणित होने के बावजूद भी प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया जो गलत है।

अतः प्रार्थना है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर निर्णय योग्य अधीनस्थ न्यायालय निरस्त फरमाया जावें तथा रेस्पोडेन्ट को बेदखल किये जाने का आदेश प्रदान करे।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट की तलबी जये रजिस्टर्ड समन्न से की गई। रेस्पोडेन्ट को जारी समन्न रजिस्टर्ड रसीदो के साथ प्राप्त हुए। बावजूद सूचना रेस्पोडेन्ट अनुपस्थित रहे।

वकील अपीलान्ट की बहस सुनी गई। वकील अपीलान्ट द्वारा अपील मेमों में अंकित तथ्यो को दोराहते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधि,न्याय, एवं संचिका में सिद्वी प्राप्त तथ्यो के सर्वथा विपरीत है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को सुनवाई एवं साक्ष्य का अवसर प्रदान किये बिना ही अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया जो सर्वथा त्रुटिपूर्ण है। योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य की ओर कोई ध्यान नही दिया कि ग्राम सुरेला तहसील दीगोद स्थित आराजी ख. न. 67 रकबा 1.08 है0 भूमि पर रेस्पोडेन्ट द्वारा लगभग 4 वर्ष पूर्व अपीलान्टस् द्वारा 5 वर्ष की अवधि के लिए मुनाफा काश्त पर दी थी उक्त अवधि पूरी हो जाने के बाद कब्जा नही छोडने पर अपीलान्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में कार्यवाही की गई, कार्यवाही का गुणावगुण पर अवलोकन किये बिना ही खारिज कर दी जो त्रुटिपूर्ण है। अतः प्रार्थना है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर निर्णय योग्य अधीनस्थ न्यायालय निरस्त फरमाया जावें तथा रेस्पोडेन्ट को बेदखल किये जाने का आदेश प्रदान करे।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध अधीनस्थ न्यायालय के रेकार्ड का अवलोकन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न वकील प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त आर.आर.डी. अब्दुल गफूर खान बनाम स्व0 कंवरलाल से न्यायालय सहमत है कि यदि अनुसूचित जाति के व्यक्ति को भूमि का आंवटन हुआ है ओर उक्त भूमि में खातेदारी अधिकार प्राप्त नही हुए है ओर

अति॰ जिला कलक्टर
कोटा

उक्त भूमि किसी अन्य व्यक्ति का कब्जा है तो अतिक्रमी को धारा 183 बी के तहत हटाया जा सकता है।

अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर तहसीलदार दीगोद का निर्णय दिनांक 6.11.2024 अपास्त किया जाकर तहसीलदार दीगोद को इस निर्देश के साथ पुनःप्रतिप्रेषित की जाती है कि पक्षकारान् को साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर देते हुए नियमो के परिपेक्ष में पुनः निर्णय पारित जावे।

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 13/2/26 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

मुद्रा

(वीरेन्द्र सिंह यादव)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
कोटा
अति॰ जिला कलक्टर
कोटा